

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन)
विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन)
विधेयक, 2015

खण्डों का क्रम

खण्ड:

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम।
2. परिभाषाएं।

अध्याय-2

खेल संगमों का रजिस्ट्रीकरण और गठन

3. अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण।
4. रजिस्ट्रार।
5. खेल संगम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।
6. खेल संगम का रजिस्ट्रीकरण।
7. खेल संगम के संविधान की विरचना।
8. उप-विधियां।
9. खेल संगम की सदस्यता।
10. खेल संगम का गठन करने के लिए न्यूनतम अपेक्षा।
11. कार्यकारी निकाय की संरचना।
12. हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम और जिला ओलम्पिक संगम।

अध्याय-3

खेल संगमों के निर्वाचन

13. निर्वाचन।
14. मतदान का अधिकार।
15. निर्वाचन लड़ने के लिए पात्रता।

अध्याय-4
विवादों का निपटारा

16. सुलह और माध्यस्थम्।

अध्याय-5
लेखे, संपरीक्षा और निरीक्षण

17. खेल संगम की निधियां।
18. लेखे।
19. संपरीक्षा।
20. विवरणियां।
21. अभिलेख मंगाने और निरीक्षण करने की शक्ति।

अध्याय-6
असम्बद्धता, जांच और निरर्हता

22. असम्बद्धता।
23. निरर्हता के आधार।
24. जांच।
25. निरर्हताएं।
26. राज्य या जिला का प्रतिनिधित्व करने या नाम का उपयोग करने पर प्रतिषेध।

अध्याय-7
संक्रमण

27. मान्यता।
28. रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति।

अध्याय-8
खेल संगमों के अधिकार और बाध्यताएं

29. भाग लेने का अधिकार।
30. राज्य स्तरीय खेल संगमों की बाध्यताएं।
31. जिला स्तरीय खेल संगमों की बाध्यताएं।

अध्याय-9

प्रकीर्ण

32. नियम बनाने की शक्ति।
33. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।
34. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
35. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति।
- * 36. अपील और पुनरीक्षण।
- * 37. व्यावृत्तियां।

अनुसूचियां।

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन)
विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में खेल संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन का उपबन्ध करने और खेल संगमों के क्रियाकलापों और कार्यकलापों को सुकर बनाने और विनियमित करने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य का और राज्य के विभिन्न राजस्व जिलों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को भी मान्यता प्रदान करने और नियमितीकरण करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1
प्रारम्भिक

- 5 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का संक्षिप्त नाम। रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2015 है।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं।
- 10 (क) "तदर्थ कार्यकारी समिति" से ऐसा कार्यकारी निकाय अभिप्रेत है, जिसे रजिस्ट्रार द्वारा किसी खेल संगम के कार्यकलापों का प्रबन्ध इस अधिनियम की धारा 25 और 27 के अधीन अस्थायी रूप से न्यस्त किया गया हो;
- (ख) "सम्बद्धता" से इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए सम्बन्ध स्थापित करना अभिप्रेत है;

- (ग) "साधारण वार्षिक बैठक" से खेल संगम के साधारण निकाय की वार्षिक बैठक अभिप्रेत है;
- (घ) "सम्बद्धता प्रमाण-पत्र" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सम्बद्धता मंजूर करते समय हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् द्वारा या राज्य स्तरीय खेल संगम द्वारा या जिला स्तरीय खेल संगम द्वारा जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है और इसमें हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम द्वारा जारी किया गया सम्बद्धता पत्र भी इसके अन्तर्गत आएगा; 5
- (ङ) "जिला" से हिमाचल प्रदेश राज्य का कोई राजस्व जिला अभिप्रेत है; 10
- (च) "जिला स्तरीय खेल संगम" से ऐसी खेल इकाई अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट क्रीड़ा या खेल में राजस्व जिले का प्रतिनिधित्व करती है और सम्बद्ध जिला खेल परिषद्, राज्य स्तरीय खेल संगम और जिला ओलम्पिक संगम से सम्यक् रूप से संबद्ध है तथा जिसके संबद्धक राज्य स्तरीय खेल संगम ने रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन किया है; 15
- (छ) "जिला खेल परिषद्" से हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् के नियन्त्रणाधीन किसी जिले में क्रियाशील परिषद् अभिप्रेत है;
- (ज) "निर्वाचन" से किसी खेल संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन अभिप्रेत है; 20
- (झ) "कार्यकारी निकाय" से सम्यक् रूप से निर्वाचित व्यक्तियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो किसी भी खेल संगम के कार्यकलापों का प्रबन्धन और नियन्त्रण करता है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;
- (ञ) "असाधारण साधारण बैठक" से किसी खेल संगम के साधारण निकाय की साधारण वार्षिक बैठक से भिन्न कोई विशेष बैठक अभिप्रेत है; 25

- (ट) "विद्यमान खेल संगम" से ऐसे खेल संगम अभिप्रेत हैं, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को विद्यमान हैं;
- (ठ) "साधारण निकाय" से किसी खेल संगम के समस्त मतदान करने वाले और मतदान न करने वाले सदस्यों का निकाय अभिप्रेत है;
- (ड) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ढ) "हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम" से राष्ट्रीय क्रीड़ाओं में हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजन के लिए गठित संगम अभिप्रेत है और जिसे भारतीय ओलम्पिक संगम द्वारा इस रूप में मान्यता प्रदान की गई है तथा हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् से सम्यक् रूप से संबद्ध है;
- (ण) "हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रीकृत परिषद् अभिप्रेत है;
- (त) "प्रेक्षक" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा या हिमाचल प्रदेश खेल परिषद् द्वारा या किसी जिला खेल परिषद् द्वारा या किसी खेल संगम द्वारा, खेल संगम के निर्वाचनों और अन्य किसी कार्यवाही को मॉनिटर करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (थ) "पदाधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी खेल संगम के कार्यकारी निकाय में अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारण करता है;
- (द) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

- (ध) "प्राथमिक खेल निकाय" से राजस्व जिले में क्रियाशील ऐसी रजिस्ट्रीकृत खेल इकाई अभिप्रेत है जो न तो राज्य स्तरीय खेल संगम है और न ही जिला स्तरीय खेल संगम है और जो उप-मण्डल या तहसील या ग्राम स्तर पर कार्य कर रही है तथा जो व्यष्टियों द्वारा गठित की गई है और जो जिला स्तरीय खेल संगम से संबद्ध है; 5
- (न) "रजिस्ट्रार" से रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन करने के लिए हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 की धारा 3 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते समय रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति है; 10
- (प) "विनियम" से खेल प्रतियोगिताओं, कोचिंग, प्रशिक्षण, अम्पायर क्लिनिक का संचालन करने के मामले में या उप-विधियों के अधीन न आने वाले किसी अन्य मामले में किसी खेल संगम के कार्यकारी निकाय द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं; 15
- (फ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ब) "विशेष संकल्प" से साधारण निकाय की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित ऐसा कोई संकल्प अभिप्रेत है जिसके कार्यवृत्त अभिलिखित किए जाते हैं और पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रेक्षक, यदि कोई हो, द्वारा अनुप्रमाणित किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए कुल मतदाताओं के कम से कम आधे की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी; 20
- (भ) "खेल संगम" से राज्य में खेलों और क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के लिए गठित राज्य स्तरीय खेल संगम, जिला स्तरीय खेल संगम या प्राथमिक खेल निकाय जिसके अन्तर्गत ऐसे खेल संगमों द्वारा चलाई जा रही खेल अकादमियां या अन्य कोई निकाय (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है; 25

- 5 (म) "राज्य स्तरीय खेल संगम" से राज्य में विशिष्ट क्रीड़ा या खेल के लिए जिला स्तरीय खेल संगम का निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय अभिप्रेत है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् से सम्यक् रूप से सम्बद्ध है तथा जिसने, अनुसूची "ख" के अधीन पात्र होते हुए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन किया हो;
- (य) "चयन समिति" से खिलाड़ियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय खेल संगम द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है, जिसके पास जिला संगम से पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा; और
- 10 (यक) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

अध्याय-2

खेल संगमों का रजिस्ट्रीकरण और गठन

3. प्राथमिक खेल निकाय से भिन्न प्रत्येक खेल संगम को, इस अधिनियम अनिवार्य के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित होगा। रजिस्ट्रीकरण।
- 15 4. (1) सोसाइटियों का रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार होगा और वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् की सहायता प्राप्त कर सकेगा।
- 20 (2) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, जो यह उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त कर सकेगी।
- (3) रजिस्ट्रार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या किसी शक्ति या कृत्य को अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- 25 (4) उपधारा (2) और (3) के अधीन नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा।

खेल संगम
के
रजिस्ट्रीकरण
के लिए
आवेदन।

5. (1) अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट खेलों से सम्बन्धित राज्य स्तरीय खेल संगम और क्रीड़ा या खेल के लिए कोई भी अन्य भावी राज्य स्तरीय खेल संगम, जो वर्तमानतः अनुसूची 'ख' के अन्तर्गत नहीं है तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुसूची 'ख' में जोड़ा गया है और उससे सम्बद्ध जिला स्तरीय खेल संगम, संगम के नाम, पता, क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व किया गया है और उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए खेल संगमों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली क्रीड़ा या खेलों का कथन करते हुए तथा कार्यकारी निकाय के पूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत करते हुए आवेदन करेंगे और उसके साथ अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट दस्तावेज सलमन करेंगे।

5

(2) जिला स्तरीय खेल संगम, इसके सम्बद्धक राज्य स्तरीय खेल संगम द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

10

(3) रजिस्ट्रीकरण फीस या कोई अन्य फीस, जिसे सरकार अवधारित और अधिसूचित करे, खेल संगम से, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभार्य होगी।

खेल संगम
का
रजिस्ट्रीकरण।

6. (1) रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि प्रस्तावित खेल संगम इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करता है, तो वह आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर खेल संगम को उनकी उप-विधियों सहित रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा तथा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से उसका प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा।

15

(2) यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि उपधारा (1) की अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई है तो वह आवेदक को पन्द्रह दिन का नोटिस देने, और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समुचित आदेश पारित करेगा।

20

खेल संगम
के संविधान
की विरचना।

7. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन, प्रत्येक खेल संगम अपने संविधान की विरचना करेगा जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होगा:—

(क) भाग 'क'—उसके लक्ष्य और उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र से अन्तर्विष्ट ज्ञापन;

25

(ख) भाग 'ख'— उप-विधियां।

8. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्रत्येक खेल संगम, जो उप-विधियाँ। अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है, अपनी उप-विधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबन्ध करेगा, अर्थात्:-

5

(क) खेल संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन लोकतांत्रिक रीति में, कालिक निर्वाचनों में किया जाएगा;

(ख) कार्यकारी निकाय के निर्वाचन, प्रत्येक चार वर्ष में कम से कम एक बार करवाए जाएंगे;

10

(ग) जिला स्तरीय संगम, संबद्ध राज्य स्तरीय खेल संगम के उन विनिश्चयों या निदेशों, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुकूल हैं, की अनुपालना में उपबन्ध करेंगे; और

(घ) खेलों और समाज के प्रत्येक वर्ग के खिलाड़ियों को भेदभाव के बिना प्रोत्साहित करने के उपबन्ध करना।

15

(2) प्रत्येक खेल संगम अपनी उप-विधियों में निर्वाचनों के लिए ऐसी प्रक्रिया सम्मिलित करेगा, जिसमें अन्य उपबन्धों के साथ-साथ निम्नलिखित समाविष्ट होगा:-

20

(क) स्वतन्त्र निर्वाचन अधिकारी का उपबन्ध;

(ख) निर्वाचन की सूचना जारी किए जाने से पूर्व मतदाता सूची का प्रकाशन ;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष के संपरीक्षित लेखों और विधिमान्य मतदाता सूची सहित, संगम के सचिव के नाम से और मुद्रा के अधीन, निर्वाचन के लिए जारी न्यूनतम इक्कीस दिन की सूचना ;

(घ) कम से कम तीन दिन पूर्व नामनिर्देशन प्राप्त करने का उपबन्ध; और

(ङ) गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन करवाने का उपबन्ध।

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यक्षीन, उप-विधियों में प्रत्येक संशोधन यथासंभवशीघ्र विशेष संकल्प द्वारा पारित किया जाएगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित और रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(4) यदि रजिस्ट्रार की यह राय हो कि प्रस्तावित संशोधन, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं है, तो वह प्रस्तावित संशोधन को, खेल संगम को, कारणों सहित उस पर पुनः विचार करने के लिए लौटा सकेगा। तत्पश्चात् खेल संगम प्रस्तावित संशोधन पर पुनः विचार करेगा और उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप करने और किए गए आक्षेपों को दूर करने के पश्चात् रजिस्ट्रार को नए प्रस्तावित संशोधन पुनः प्रस्तुत कर सकेगा, तत्पश्चात् रजिस्ट्रार प्रस्तावित संशोधनों को या तो अनुमोदित करेगा या अननुमोदित करेगा और अपने आदेश से सम्बन्धित खेल संगम को कारणों सहित संसूचित करेगा।

खेल संगम की सदस्यता। 9. (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक जिला स्तरीय खेल संगम, संबद्ध राज्य स्तरीय खेल संगम का सदस्य होगा।

(2) प्रत्येक प्राथमिक खेल निकाय, संबद्ध जिला स्तरीय खेल संगम का सदस्य होगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन, सदस्यता में कोई परिवर्धन, हटाया जाना या परिवर्तन केवल खेल संगम के साधारण निकाय की बैठक में किया जा सकेगा।

(4) खेल संगम सदस्यता प्रदान करने के लिए, अपनी उप-विधियों में शर्तें और प्रक्रिया विहित कर सकेगा।

खेल संगम का गठन करने के लिए न्यूनतम अपेक्षा। 10. (1) राज्य स्तरीय खेल संगम, न्यूनतम सात जिला स्तरीय खेल संगमों द्वारा गठित किया जाएगा।

(2) जिला स्तरीय खेल संगम न्यूनतम पांच प्राथमिक खेल निकायों द्वारा गठित किया जाएगा।

(3) प्राथमिक खेल निकाय, न्यूनतम सात व्यष्टियों द्वारा गठित किया जाएगा।

11. खेल संगम के कार्यकारी निकाय में पदधारियों सहित न्यूनतम पांच और अधिकतम इक्कीस सदस्य होंगे। कार्यकारी निकाय की संरचना।

5 12. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम को हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् द्वारा संबद्धता दी जाएगी और उसे राज्य स्तरीय खेल संगम माना जाएगा तथा वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य स्तरीय खेल संगम को, ओलम्पिक खेलों, एशियाई खेलों या राष्ट्रमण्डल खेलों में भागीदारी के लिए मान्यता प्राप्त क्रीड़ाओं और खेलों के लिए और भारतीय ओलम्पिक संगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों या किन्हीं अन्य स्पर्धाओं में हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनों के लिए, संबद्धता देगा। हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम और जिला ओलम्पिक संगम।

(2) जिला ओलम्पिक संगम इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत जिला स्तरीय खेल संगमों को संबद्ध करेंगे।

15 (3) हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम या इसका कोई भी संबद्ध निकाय, खेलों से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य कर सकेगा, जिसे सरकार या हिमाचल प्रदेश खेल परिषद् इसे न्यस्त करे।

(4) हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम और इसके घटक जिला ओलम्पिक संगम उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन आने वाले रजिस्ट्रीकृत खेल संगमों को आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर संबद्धता पत्र जारी करेंगे।

अध्याय-3

20 खेल संगमों के निर्वाचन

25 13. (1) राज्य स्तरीय खेल संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन, हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् के किसी प्रेक्षक की उपस्थिति में करवाया जाएगा। किसी जिला स्तरीय खेल संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन, उसके राज्य स्तरीय खेल संगम या जिला खेल परिषद् के प्रेक्षक की उपस्थिति में करवाया जाएगा। निर्वाचन।

(2) खेल संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन की समाप्ति पर, निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचित सदस्यों के नाम और पता देते हुए, प्रेक्षक (प्रेक्षकों) द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन ऐसा प्रमाण पत्र जारी होने पर निर्वाचित कार्यकारी निकाय, खेल संगम का प्रभार लेगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी खेल संगम का प्रभार लेगा और ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतियां रजिस्ट्रार और हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् को भेजेगा।

मतदान का
अधिकार।

14. (1) प्राथमिक खेल निकाय के प्रत्येक सदस्य को, अपने कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में एक मत देने का अधिकार होगा।

5

(2) सम्बद्ध प्राथमिक खेल निकाय के प्रधान और सचिव को जिला स्तरीय खेल संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में एक-एक मत देने का अधिकार होगा।

(3) जिला स्तरीय खेल संगम के प्रधान और सचिव को राज्य स्तरीय खेल संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में एक-एक मत देने का अधिकार होगा।

10

(4) किसी खेल संगम के पदावरोही पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्यों के खेल संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(5) किसी खेल संगम के किसी व्यक्ति सदस्य या आजीवन सदस्य को खेल संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

15

(6) खेल संगम की ओर से मत देने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों को प्राधिकार देने के अवधारण की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी खेल संगम की उप-विधियों में विहित की जाए।

20

निर्वाचन लड़ने
के लिए
पात्रता।

15. (1) समस्त व्यक्ति सदस्य प्राथमिक खेल निकाय का निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र होंगे।

(2) समस्त सम्बद्ध प्राथमिक निकायों के निर्वाचित पदाधिकारी जिला स्तरीय खेल संगम का निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र होंगे।

(3) समस्त सम्बद्ध जिला स्तरीय खेल संगमों के निर्वाचित पदाधिकारी राज्य स्तरीय खेल संगम का निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र होंगे।

(4) निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के पास निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख को इस अधिनियम की अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट अर्हताएं अवश्य होनी चाहिए।

अध्याय-4

विवादों का निपटारा

16. (1) यदि किसी खेल संगम के गठन, प्रबन्ध क्रियाकलाप, निर्वाचन सुलह और या सम्बद्धता के दावे से सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निपटारा माध्यस्थम्। सुलह और माध्यस्थम् के माध्यम से किया जाएगा।

(2) विधि परामर्शी-एवं-प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार उपधारा (1) के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए एक मात्र माध्यस्थ होंगे।

(3) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सुलह और माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू होगा।

अध्याय-5

लेखे, संपरीक्षा और निरीक्षण

17. (1) प्रत्येक खेल संगम की अपनी निधि होगी।

खेल संगम
की निधियां।

(2) खेल संगम इस अधिनियम के समस्त या किसी प्रयोजन के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकारों से या स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यक्ति या निकाय से, चाहे निगमित हो या न हो, अनुदान और संदान स्वीकार कर सकेगा या प्रायोजकों या संप्रवर्तकों से संदान स्वीकार कर सकेगा।

(3) सरकार खेल संगमों को ऐसे अनुदान दे सकेगी, जैसे वह आवश्यक समझे।

(4) इस अधिनियम के आधार पर खेल संगमों द्वारा या की ओर से प्राप्त समस्त धन से खेल संगमों की निधि का गठन होगा।

(5) इस धारा में विनिर्दिष्ट समस्त धन और जो खेल संगमों की निधि का भाग है, को हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी भी सहकारी बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा।

(6) ऐसा लेखा, ऐसे प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में संचालित किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए।

लेखे। 18. प्रत्येक खेल संगम अपने लेखे बनाए रखेगा और उन्हें अद्यतन रखेगा।

संपरीक्षा। 19. प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल संगम अपने लेखों को चार्टर्ड एकाउंटेंट से संपरीक्षित करवाएगा और अपने से संबद्ध जिला स्तरीय खेल संगमों के लेखों की संपरीक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करेगा।

विवरणियां। 20. संपरीक्षित लेखों की विवरणी को, प्राथमिक खेल निकाय द्वारा अपने जिला स्तरीय खेल संगमों को, जिला स्तरीय खेल संगमों द्वारा अपने राज्य स्तरीय खेल संगम को, और राज्य स्तरीय खेल संगम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर भेजा जाएगा।

अभिलेख मंगाने और निरीक्षण करने की शक्ति। 21. (1) रजिस्ट्रार या हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित जांच के लिए, किसी खेल संगम का कोई भी अभिलेख मंगा सकेगा।

(2) राज्य स्तरीय खेल संगम इस अधिनियम के अधीन जांच के लिए अपेक्षित किसी संबद्ध जिला स्तरीय खेल संगम का कोई भी अभिलेख मंगा सकेगा।

अध्याय-6

असंबद्धता, जांच और निरर्हता

असंबद्धता। 22. (1) राज्य स्तरीय खेल संगम, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, किसी भी ऐसे जिला स्तरीय खेल संगम को असम्बद्ध कर सकेगा, जिसने इस अधिनियम

के अध्याय-8 में अधिकथित किसी भी बाध्यता को लगातार दो वर्ष तक पूरा नहीं किया हो और रजिस्ट्रार को सूचित करेगा, जो तत्पश्चात् धारा 25 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

5 (2) हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्, सम्यक् सुनवाई के पश्चात्, किसी ऐसे राज्य स्तरीय खेल संगम को असम्बद्ध कर सकेगा, जिसने इस अधिनियम के अध्याय-8 में अधिकथित किसी भी बाध्यता को लगातार दो वर्ष तक पूरा नहीं किया हो और रजिस्ट्रार को सूचित करेगा, जो तत्पश्चात् धारा 25 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

23. (1) खेल संगम कार्रवाई के लिए दायी होगा, यदि वह -

निरर्हता के
आधार।

10 (क) लेखों को बनाए रखने में और उन्हें धारा 19 के अधीन प्रस्तुत करने में असफल रहता है या उन्हें निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, या

15 (ख) यदि खेल संगम, यथास्थिति, अपनी उप-विधियों के अनुसार या अध्याय-7 के उपबन्धों द्वारा आदेश होने पर निर्वाचन करवाने में असफल रहता है, या

(ग) यदि खेल संगम अध्याय-8 के अधीन अपनी बाध्यताओं को कार्यान्वित करने में असफल रहता है, या

20 (घ) यदि खेल संगम या उसका कोई भी पदाधिकारी या कार्यकारी निकाय का कोई अन्य सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए निधियों का दुर्विनियोजन करता है या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए खेल संगम के कार्यकलापों का ठीक प्रबन्ध नहीं करता है, या

(ङ) यदि खेल संगम धारा 22 के अधीन असम्बद्ध हो जाता है।

(2) राज्य स्तरीय खेल संगम, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को यह सिफारिश कर सकेगा कि उससे सम्बद्ध जिला स्तरीय खेल संगम को निरर्हित कर दिया जाए यदि वह -

(क) खेल प्रतियोगिताएं करवाने के मामले में राज्य स्तरीय खेल संगम के निदेशों का पालन नहीं करता है और इसके विनियमों का उल्लंघन करता है, या

5

(ख) संबद्धता फीस का संदाय नहीं करता है, या

(ग) अपनी रजिस्ट्रीकृत उप-विधियों के उपबन्धों का अन्यथा उल्लंघन करता है।

जांच।

24. (1) रजिस्ट्रार-

10

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय खेल परिषद् के अनुरोध पर, या

(ख) राज्य स्तरीय खेल संगम के अनुरोध पर, या

(ग) खेल संगम के कुल सदस्यों के कम से कम एक बटा दस (1/10) के अनुरोध पर, या

(घ) स्वप्रेरणा से, कोई जांच, या तो स्वयं कर सकेगा या अपने द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से करवा सकेगा।

15

(2) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, किसी जांच के प्रयोजन के लिए संबद्ध खेल संगम के अभिलेखों का निरीक्षण करने, किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने और उसकी प्रति लेने का निदेश देने की समस्त शक्तियां होंगी।

निरर्हताएं।

25. (1) रजिस्ट्रार, जांच करने के पश्चात्, प्रभावित खेल संगम को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्,-

20

(क) तदर्थ कार्यकारी समिति की नियुक्ति करेगा और तीन मास के भीतर कार्यकारी निकाय के नए निर्वाचन करवा सकेगा; और

(ख) निधियों के दुर्विनियोजन के मामले में, विधि के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा।

(2) खेल संगम का कोई भी विद्यमान पदाधिकारी, जो उपधारा (1) के अधीन निरहृत है, ऐसी निरहृता की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए किसी खेल संगम का निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

26. (1) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह व्यक्ति या सामूहिक रूप से, राज्य स्तरीय खेल संगम द्वारा प्राधिकृत हुए बिना, किसी क्रीड़ा या खेल में, हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

राज्य या जिला का प्रतिनिधित्व करने या नाम का उपयोग करने पर प्रतिषेध।

(2) कोई भी खेल संगम अपने नाम के भागरूप में निरूपण 'हिमाचल' या 'हिमाचल प्रदेश' का उपयोग करने या किसी जिला के नाम का उपयोग करने या ऐसे किसी खेल क्रियाकलाप का जिम्मा लेने का हकदार नहीं होगा जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तात्पर्यित किसी भी राष्ट्रीय परिसंघ, बोर्ड या संगम की किसी संबद्ध इकाई के रूप में या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से हिमाचल प्रदेश राज्य या किसी जिले का प्रतिनिधित्व करने के रूप में परिणत हो, जब तक कि ऐसा खेल संगम, इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य स्तरीय खेल संगम या किसी जिला स्तरीय खेल संगम के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो।

(3) जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि छह मास से अधिक की न होगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

(4) कोई भी न्यायालय, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय, इस धारा के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अध्याय-7

संक्रमण

27. (1) राज्य या जिला स्तर पर क्रीड़ाओं या खेलों के क्रियाकलापों का जिम्मा लेने वाला कोई संगम और जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860

मान्यता।

या हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है, को रजिस्ट्रार के समाधानप्रद अपनी उपविधियों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप लाना अपेक्षित होगा।

(2) यदि उप-विधियों को उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार संशोधित नहीं किया जाता है, तो खेल संगम के कार्यकारी निकाय को रजिस्ट्रार द्वारा अधिक्रान्त कर दिया जाएगा और खेल संगम के कार्यकलापों के प्रबन्धन के लिए तदर्थ कार्यकारी समिति नियुक्त की जाएगी।

(3) तदर्थ कार्यकारी समिति असाधारण साधारण बैठक बुलाएगी और प्रभार ग्रहण करने के तीस दिन के भीतर संशोधित की गई उप-विधियों को अनुमोदित करवाएगी।

(4) उप-विधियों के संशोधन के पश्चात् नए निर्वाचन, ऐसे संशोधन की तारीख से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित मामलों में किए जाएंगे जहां—

(क) ऐसा कोई संशोधन, पूर्ववर्ती निर्वाचित कार्यकारी निकाय का अधिक्रान्त करने के पश्चात् किया गया है, या

(ख) पूर्ववर्ती निर्वाचित कार्यकारी निकाय, अधिशासी समिति (वोटिंग कॉलिजियम) द्वारा निर्वाचित किया गया है, जिसमें इस अधिनियम के अधीन उपबंधित सदस्यों से भिन्न सदस्य समाविष्ट थे :

परन्तु अधिशासी समिति (वोटिंग कॉलिजियम) और उनके संबद्धक संगमों का निर्वाचन लड़ने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पात्रता उपधारा (5) के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(5) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ को, विभिन्न राज्य स्तरीय खेल संगमों और जिला स्तरीय खेल संगमों के कार्यकारी निकायों के निर्वाचित पदाधिकारी उपधारा (4) के अधीन कोई भी नया निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रीति में अवधारित किए जाएंगे—

(क) अनुसूची- 'ख' में विनिर्दिष्ट राज्य स्तरीय खेल संगमों के लिए, संबद्ध राज्य स्तरीय खेल संगमों द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् के पास दाखिल की गई विवरणियों और हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर जो या तो ऐसी विवरणियों पर आधारित हो या इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सुसंगत जिला खेल परिषद् के अभिलेखों के आधार पर; और

(ख) जिला स्तरीय खेल संगमों के लिए प्राथमिक तौर पर संबद्ध राज्य स्तरीय खेल संगमों द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् के पास दाखिल की गई विवरणियों के आधार पर और, यदि ऐसी विवरणियां उपलब्ध न हों, तो अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को जिला खेल परिषद् के पास उपलब्ध संबद्धता अभिलेख के आधार पर।

28. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे सभी खेल संगमों का रजिस्ट्रीकरण, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 और हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं और जिन्होंने धारा 27 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और मान्यता के लिए आवेदन किया है, ऐसे आवेदन की तारीख से अस्तित्व में नहीं रहेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी संगम का रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो जाने पर भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व प्रोद्भूत सभी दावे या उपगत दायित्व या प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां, यथास्थिति, दावाकृत की जाएंगी, भुगती जाएंगी या जारी रहेंगी मानों रजिस्ट्रीकरण अस्तित्वहीन नहीं हुआ हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी संगम के रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति पर, संगम की संपत्ति, संगम की उप-विधियों के अध्यक्षीन, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय में निहित रहना जारी रहेगी, जिनमें संपत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को ठीक पूर्व निहित थी।

अध्याय-8

खेल संगमों के अधिकार और बाध्यताएं

भाग लेने का अधिकार। 29. प्रत्येक खेल संगम को, संबद्ध खेल संगम की उप-विधियों और विनियमों के उपबन्धों के अधीन, खेल संगम द्वारा संचालित ऐसे खेल क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार होगा, जिससे वह संबद्ध है। 5

राज्य स्तरीय खेल संगमों की बाध्यताएं। 30. हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम से भिन्न प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल संगम— 10

(क) प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ और कनिष्ठ खिलाड़ियों के लिए कम से कम एक अन्तर-जिला राज्य चैम्पियनशिप करवाएगा;

(ख) अपने खिलाड़ियों और टीमों को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए भेजेगा; 10

(ग) या तो स्वयं या हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् के सहयोजन से खिलाड़ियों के लिए वर्ष भर प्रशिक्षण और कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा;

(घ) ऐसे पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य ऐसी सुविधाएं देने की व्यवस्था करेगा, जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे; 15

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों या खेल क्रियाकलापों में लगे हुए किसी अन्य व्यक्ति का यौन शोषण न हो; और

(च) किसी खिलाड़ी द्वारा उसकी आयु के गलत प्रकटन का निवारण सुनिश्चित करेगा। 20

जिला स्तरीय खेल संगमों की बाध्यताएं। 31. किसी जिला स्तरीय ओलम्पिक संगम से भिन्न प्रत्येक जिला स्तरीय खेल संगम—

(क) प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ और कनिष्ठ खिलाड़ियों के लिए कम से कम एक जिला स्तरीय चैम्पियनशिप करवाएगा;

- (ख) अपने खिलाड़ियों और टीमों को राज्य स्तर पर भाग लेने के लिए भेजेगा;
- (ग) या तो स्वयं या हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद के सहयोजन से खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण और कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा;
- (घ) ऐसे पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य ऐसी सुविधाएं देने की व्यवस्था करेगा जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों या खेल क्रियाकलापों में लगे हुए किसी अन्य व्यक्ति का यौन शोषण न हो; और
- (च) किसी खिलाड़ी द्वारा उसकी आयु के गलत प्रकटन का निवारण सुनिश्चित करेगा।

अध्याय-9

प्रकीर्ण

32. (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिन की अवधि से अन्यून सत्र में हो, के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि सत्र के अवसान से पूर्व जिसमें यह इस तरह रखा गया था या शीघ्र बाद के सत्र में राज्य विधान सभा नियमों में कोई भी उपान्तरण करती है या यह विनिश्चय करती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति। 33. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा। 5

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 34. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के क्रियान्वयन में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात या कार्रवाई के लिए कोई दावा, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही, सरकार या सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या सेवक के विरुद्ध न होगी। 10

अनुसूची संशोधित करने की शक्ति। 35. अनुसूची 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में कोई परिवर्धन या परिवर्तन और हटाया जाना निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा विनियमित होगा:—

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्, विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात् रजिस्ट्रार को लिखित परामर्श भेज सकेगी;

(ख) लिखित परामर्श प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार प्रस्तावित परिवर्धन, परिवर्तन या हटाए जाने का नोटिस प्रकाशित करेगा; 15

(ग) ऐसे नोटिस के प्रकाशन से तीस दिन की समाप्ति पर प्रस्तावित संशोधन पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और यदि सरकार इसे उचित समझे, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सम्बद्ध अनुसूची को संशोधित कर सकेगी: 20

परन्तु इस धारा के अधीन जारी की गई समस्त अधिसूचनाएं, उनके इस प्रकार जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएंगी।

अपील और पुनरीक्षण। 36. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई खेल संगम या व्यक्ति, ऐसा आदेश किए जाने की तारीख से तीस 25

दिन के भीतर सचिव (युवा सेवाएं और खेल), हिमाचल प्रदेश सरकार को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

5 **37.** इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, ^{व्यक्तियां।} 1860 या हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी खेल संगम द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित सभी विधिपूर्ण कार्रवाइयां, इस अधिनियम के अधीन खेल संगम के रूप में उसके रजिस्ट्रीकृत होने के फलस्वरूप की गई समझी जाएंगी।

अनुसूची 'क'
(धारा 5 और 35 देखें)

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-

1. मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित सदस्यों की सूची;
2. कार्यकारी निकाय के निर्वाचित सदस्यों की सूची;
3. राष्ट्रीय परिसंघ/राज्य खेल संगम के साथ संबद्धता का प्रमाण-पत्र;
4. इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बनाया गया ज्ञापन और उप-विधियां (दो सैटों में);
5. पूर्व साधारण बैठक के सदस्यों की सूची
6. विद्यमान खेल संगम की दशा में, उप-विधियों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप बनाने का वचनबन्ध;
7. राज्य इकाई से सम्यक रूप से अनुमोदित और सहबद्ध कम से कम सात जिला स्तरीय इकाईयों की सूची (शीतकालीन खेल संगम के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित नहीं) और
8. ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित अद्यतन लेखे।

अनुसूची 'ख'
(धारा 5, 27 और 35 देखें)

रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र राज्य स्तरीय खेल संगम।

1. हिमाचल प्रदेश आर्चरी संगम।
2. हिमाचल प्रदेश एथलैटिक्स संगम।

3. हिमाचल प्रदेश बैडमिन्टन संगम।
4. हिमाचल प्रदेश बास्केटबाल संगम।
5. हिमाचल प्रदेश बिलियर्ड्स संगम।
6. हिमाचल प्रदेश बॉडी बिल्डिंग संगम।
7. हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग संगम।
8. हिमाचल प्रदेश ब्रिज संगम।
9. हिमाचल प्रदेश कैरम संगम।
10. हिमाचल प्रदेश चैस संगम।
11. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संगम।
12. हिमाचल प्रदेश साईक्लिंग संगम।
13. हिमाचल प्रदेश फुटबाल संगम।
14. हिमाचल प्रदेश गोल्फ संगम।
15. हिमाचल प्रदेश जिमनास्टिक संगम।
16. हिमाचल प्रदेश हँडबाल संगम।
17. हिमाचल प्रदेश हॉकी संगम।
18. हिमाचल प्रदेश जूडो संगम।
19. हिमाचल प्रदेश कबड्डी संगम।
20. हिमाचल प्रदेश कराटे-डू संगम।
21. हिमाचल प्रदेश खो-खो संगम।
22. हिमाचल प्रदेश पॉवर लिफ्टिंग संगम।
23. हिमाचल प्रदेश राईफल शूटिंग संगम।
24. हिमाचल प्रदेश स्कींग संगम।
25. हिमाचल प्रदेश स्कवॉश संगम।
26. हिमाचल प्रदेश सॉफ्टबाल संगम।
27. हिमाचल प्रदेश स्वीमिंग संगम।
28. हिमाचल प्रदेश टेबल-टेनिस संगम।
29. हिमाचल प्रदेश ताइक्वान्डो संगम।
30. हिमाचल प्रदेश टेनिस संगम।
31. हिमाचल प्रदेश वॉलीबाल संगम।
32. हिमाचल प्रदेश वेट लिफ्टिंग संगम।
33. हिमाचल प्रदेश रेस्लिंग (इण्डियन स्टाइल) संगम।
34. हिमाचल प्रदेश इन्डोर क्रिकेट संगम।
35. हिमाचल प्रदेश आईस्केटिंग संगम।

36. हिमाचल प्रदेश कार्फ बॉल संगम।
37. हिमाचल प्रदेश नेटबाल संगम।
38. हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संगम।
39. हिमाचल प्रदेश थ्रो बॉल संगम।
40. हिमाचल प्रदेश शीतकालीन खेल संगम।
41. हिमाचल प्रदेश वुशु संगम।
42. हिमाचल प्रदेश योगा संगम।

**अनुसूची 'ग'
(धारा 15 (4) देखें)**

पदाधिकारी की निर्वाचन लड़ने और पद धारण करने के लिए अर्हताएं:-

1. हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए;
2. सम्बन्धित क्रीडा की जानकारी/अनुभव होना चाहिए;
3. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी से अभिप्रेत होगा,-
(क) हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो;
(ख) हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहा हो; या
(ग) हिमाचल प्रदेश में स्थावर संपत्ति रखता हो;
4. किसी दाण्डिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया हो;
5. दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो; और
6. किसी क्रीडा या स्पर्धा में भाग लेने से निरहिंत नहीं किया गया हो।

**अनुसूची 'घ'
(धारा 35 देखें)**

खेल संगम द्वारा रखा जाने वाला अभिलेख:-

1. सदस्यों का रजिस्टर;
2. कार्यकारी निकाय की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका;
3. साधारण निकाय की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका;
4. लेखों का रजिस्टर;
5. क्रियाकलापों, स्पर्धाओं और उपलब्धियों का अभिलेख; और
6. प्रमाण पत्रों/पुरस्कारों का अभिलेख (स्पर्धा-वार)।

डा. वि. प्रजापति
वरिष्ठ
मुख्य अम्मी,
हिमाचल प्रदेश

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः खेल संगमों पर उनके रजिस्ट्रीकरण, गठन, निर्वाचनों से सम्बन्धित उपबन्धों और खेलों के संवर्धन के लिए उनके समुचित कार्यकलापों तथा वित्तीय उत्तरदेयता की बाबत कोई भी विनियम नहीं है। समस्त संगमों को एक समान विनियमों के अधीन लाने के आशय से एक विधान लाने का विनिश्चय किया गया है। यह विधान हिमाचल प्रदेश राज्य में ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलों और क्रीड़ाओं के उन्नयन के सम्पूर्ण प्रयोजन की पूर्ति के लिए है ताकि खेलों और क्रीड़ाओं के प्रति अभिरुचि पैदा हो। इसका ध्येय हिमाचल प्रदेश राज्य में खेल संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियम का उपबन्ध करने और खेल संगमों के क्रियाकलापों और कार्यकलापों को सुकर बनाने और विनियमित करने हेतु उपबन्ध करना भी है। इस विधान के अधीन राज्य में खेल संगमों और उनकी विभिन्न राजस्व जिला इकाईयों की मान्यता और उनके क्रियाकलापों, निर्वाचन और कृत्यों के विनियमन हेतु उपबन्ध किए जा रहें हैं साथ ही इस विधि का व्यापक उद्देश्य खेल संगमों का लोकतन्त्रीकरण करना भी है ताकि वे तद्वारा राज्य, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों के सर्वोत्तम हित में खेल गतिविधियों से सम्बन्धित अपने कार्यकलापों का प्रबन्धन करने में समर्थ हो सकें।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

शिमला:
तारीख....., 2015

(वीरभद्र सिंह)

मुख्य मन्त्री।

आधिपत्याधीन

वित्तीय ज्ञापन

वीरभद्र सिंह

मुख्य मन्त्री,

हिमाचल प्रदेश

इस विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे। इस प्रकार इससे राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 32 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन)
विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश राज्य में खेल संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन का उपबन्ध करने और खेल संगमों के क्रियाकलापों और कार्यकलापों को सुकर बनाने और विनियमित करने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य का और राज्य के विभिन्न राजस्व जिलों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को भी मान्यता प्रदान करने और नियमितीकरण करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला:
तारीख:....., 2015

आविष्कारित

वसिष्ठ

मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 10 OF 2015

**THE HIMACHAL PRADESH SPORTS (REGISTRATION,
RECOGNITION AND REGULATION OF ASSOCIATIONS)
BILL, 2015**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE HIMACHAL PRADESH SPORTS (REGISTRATION, RECOGNITION
AND REGULATION OF ASSOCIATIONS) BILL, 2015**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

1. Short title.
2. Definitions.

CHAPTER-II

REGISTRATION AND CONSTITUTION OF SPORTS ASSOCIATIONS

3. Compulsory registration.
4. Registrar.
5. Application for registration of Sports Association.
6. Registration of Sports Association.
7. Framing of constitution of a Sports Association.
8. Bye-laws.
9. Membership of a Sports Association.
10. Minimum requirement for constitution of Sports Association.
11. Composition of Executive Body.
12. Himachal Pradesh Olympic Association and District Olympic Association.

CHAPTER-III

ELECTION OF SPORTS ASSOCIATIONS

13. Elections.
14. Voting right.
15. Eligibility for contesting election.

CHAPTER-IV

SETTLEMENT OF DISPUTES

16. Conciliation and arbitration.

CHAPTER-V
ACCOUNTS, AUDIT AND INSPECTION

17. Funds of Sports Association.
18. Accounts.
19. Audit.
20. Returns.
21. Power to call for record and inspection.

CHAPTER-VI
DISAFFILIATION, INQUIRY AND DISQUALIFICATION

22. Disaffiliation.
23. Grounds for disqualification.
24. Inquiry.
25. Disqualifications.
26. Prohibition to represent or to use the name of the State or the District.

CHAPTER-VII
TRANSITION

27. Recognition.
28. Cessation of registration.

CHAPTER-VIII
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SPORTS ASSOCIATIONS

29. Right to participate.
30. Obligations of the State Level Sports Associations.
31. Obligations of the District Level Sports Associations.

CHAPTER-IX
MISCELLANEOUS

32. Power to make rules.
33. Power to remove difficulties.
34. Protection of action taken in good faith.
35. Power to amend SCHEDULE.
36. Appeal and revision.
37. Savings.

SCHEDULES.

**THE HIMACHAL PRADESH SPORTS (REGISTRATION,
RECOGNITION AND REGULATION OF
ASSOCIATIONS) BILL, 2015**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for registration, recognition and regulation of Sports Associations and to facilitate and regulate the activities and affairs of the Sports Associations in the State of Himachal Pradesh and also to provide for recognition and regularization of the right to represent the State of Himachal Pradesh and the various Revenue Districts in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

- 5 1. This Act may be called the Himachal Pradesh Sports Short title.
(Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2015.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions.
- 10 (a) “Adhoc Executive Committee” means an Executive Body,
which is temporarily entrusted with the management of
the affairs of a Sports Association by the Registrar under
sections 25 and 27 of this Act;
- (b) “affiliation” means establishment of a relationship for the
purpose of achieving the objectives of this Act;
- 15 (c) “annual general meeting” means the annual meeting of the
General Body of a Sports Association;

- (d) "Certificate of affiliation" means the document issued by the Himachal Pradesh State Sports Council or by the State Level Sports Association or by the District Level Sports Association, while granting affiliation under the provisions of this Act and shall include a letter of affiliation issued by the Himachal Pradesh Olympic Association; 5
- (e) "District" means a Revenue district in the State of Himachal Pradesh;
- (f) "District Level Sports Association" means a sports unit, which represents a Revenue district, in a particular game or sports and is duly affiliated to the concerned District Sports Council, State Level Sports Association or District Olympic Association and whose affiliating State Level Sports Association has applied for registration to the Registrar; 10 15
- (g) "District Sports Council" means a Council operating in a District under the control of the Himachal Pradesh State Sports Council;
- (h) "election" means election of the Executive Body of a Sports Association; 20
- (i) "Executive Body" means a group of duly elected persons who manage and control the affairs of a Sports Association, by whatever name called;
- (j) "Extraordinary general meeting" means a special meeting of the General Body of a Sports Association other than an annual general meeting; 25
- (k) "Existing Sports Association" means the Sports Associations which are in existence on the date of commencement of this Act;
- (l) "General Body" means the body of all voting and non-voting members of a Sports Association; 30
-

- (m) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;
- 5 (n) "Himachal Pradesh Olympic Association" means the Association constituted for the purposes of representation of the State of Himachal Pradesh in the National games and which is recognized as such by the Indian Olympic Association and is duly affiliated to the Himachal Pradesh State Sports Council;
- 10 (o) "Himachal Pradesh State Sports Council" means the Council registered under the Societies Registration Act, 1860 or the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006;
- 15 (p) "observer" means a person appointed by the Registrar, or by the Himachal Pradesh State Sports Council, or by a District Sports Council or by a Sports Association, for monitoring the elections and any other proceedings of a Sports Association in accordance with the provisions of this Act;
- 20 (q) "office bearer" means any person who holds the post of the President, the Secretary or the Treasurer in the Executive Body of a Sports Association;
- (r) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- 25 (s) "Primary Sports Body" means a sports unit operating in a Revenue district which is neither a State Level Sports Association nor a District Level Sports Association and is working at Sub-Division or Tehsil or Village level and is constituted by individuals and is affiliated to a District Level Sports Association;
- 30 (t) "Registrar" means the Registrar referred to in section 3 of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006
-

to perform the functions of the Registrar and includes any persons appointed to assist the Registrar when exercising all or any of the powers of the Registrar under this Act;

- (u) "Regulations" means regulations framed by the Executive Body of a Sports Association in the matter of conducting tournaments, coaching, training, Umpire's clinic or any other matter not covered under the bye-laws; 5
- (v) "SCHEDULE" means SCHEDULE appended to this Act;
- (w) "Special resolution" means a resolution passed by two-third majority of members present and voting in a General Body meeting, the minutes of which are recorded and signed by the office bearers and attested by the observer, if any. Presence of at least half of the total number of voters shall constitute a quorum for this purpose; 10 15
- (x) "Sports Association" means a State Level Sports Association, District Level Sports Association or a Primary Sports Body constituted to promote sports and games in the State including sports academies or any other body (by whatever name called) run by such Sports Associations; 20
- (y) "State Level Sports Association" means an elected representative body of District Level Sports Association for particular game or sports in the State which is affiliated to the Himachal Pradesh State Sports Council and being eligible under Schedule 'B' has applied for registration under this Act to the Registrar; 25
- (z) "Selection Committee" means committee constituted by the State Level Sports Association for selection of players which shall have fifty percent representation from District Association; and 30
- (za) "State" means the State of Himachal Pradesh.

CHAPTER-II
REGISTRATION AND CONSTITUTION OF SPORTS
ASSOCIATIONS

5 3. Every Sports Association other than a Primary Sports Body shall be required to be registered under the provisions of this Act. Compulsory registration.

 4. (1) The Registrar of Societies shall be the Registrar for the purposes of this Act, and he may obtain the assistance of the Himachal Pradesh State Sports Council for the discharge of his functions under the provisions of this Act. Registrar.

10 (2) The Government may, by a general or special order and subject to such conditions, as it may think fit, confer on any officer, the power to perform the duties of the Registrar under this Act.

 (3) The Registrar may, by general or special order and subject to such conditions as he may think fit, delegate all or any of his powers or functions under this Act to any officer subordinate to him. Registrar.

 (4) The officer to be appointed under sub-sections (2) and (3) shall not be below the rank of an Assistant Registrar, Co-operative Societies.

20 5. (1) A State Level Sports Association relating to the sports specified in SCHEDULE 'B' and any other future State Level Sports Association for a game or sport not presently covered by SCHEDULE 'B' and added to the SCHEDULE 'B' under the provisions of this Act and its affiliated District Level Sports Associations shall apply for registration of the Association, stating therein the name, address, area represented, game or sports represented by the Sports Associations and with complete details of the Executive Body and accompanied with the documents specified in SCHEDULE 'A'. Application for Registration of Sports Association.

 (2) A District Level Sports Association may make an application for registration within a period of three months after its affiliating State Level Sports Association has received the Certificate of Registration.

30 (3) The registration fee or any other fee as the Government may determine and notify, shall be chargeable from the Sports Association for registration.

Registration
of Sports
Association.

6. (1) After the Registrar is satisfied that the proposed Sports Association complies with the provisions of this Act, and the rules made thereunder, he may, within thirty days from the date of receipt of application, register the Sports Association together with its bye-laws and issue a certificate thereof under his hand and seal.

5

(2) If the Registrar finds that the requirement of sub-section (1) is not satisfied, he shall, after giving a fifteen days notice to the applicant and an opportunity of being heard, pass appropriate order.

Framing of
constitution
of a Sports
Association.

7. Subject to the provisions of this Act, every Sports Association shall frame its constitution which shall consist of the following:—

10

- (a) Part 'A'—Memorandum containing its aims and objectives and area of operation;
- (b) Part 'B'—bye-laws.

Bye-laws.

8. (1) Subject to the provisions of this Act, every Sports Association which seeks registration under this Act, shall make, amongst other things, the following provisions in its bye-laws, namely:—

15

- (a) the Executive Body of the Sports Association shall be elected in a democratic manner in periodical elections;
- (b) the elections of the Executive Body shall be held atleast once in every four years;
- (c) the District Level Associations shall make provisions to abide by those decisions or directions of the concerned State Level Sports Association, which are in consonance with the provisions of this Act; and
- (d) the provisions to encourage the sports and sports persons of every section of the society without any discrimination.

20

25

(2) Every Sports Association shall incorporate a procedure for elections in its bye-laws, which shall, among other provisions, comprise the following:—

- (a) provision of an independent election officer;

30

- (b) publication of a voters' list before issue of notice of election;
- (c) minimum twenty one days notice for elections, issued under the name and seal of the Secretary of the Association, accompanied by the audited accounts for the previous year and valid voters' list;
- (d) provision for receiving nominations at least three days in advance; and
- (e) provision for holding elections by secret ballot.

5

10

(3) Subject to the provisions of sub-section (4), every amendment in the bye-laws shall be, as soon as possible, passed by a special resolution and approved and registered by the Registrar under the provisions of this Act.

15

20

(4) If the Registrar is of the opinion that the proposed amendment is not in accordance with the provisions of this Act, he may return the proposed amendment along with the reasons to the Sports Association for reconsidering the same. The Sports Association shall, thereafter, reconsider the proposed amendment and resubmit fresh proposed amendments to the Registrar, after bringing it in accordance with the provisions of this Act and after meeting the objections made, thereafter the Registrar shall either approve or disapprove the proposed amendments and communicate his order with reasons to the concerned Sports Association.

9. (1) Every District Level Sports Association registered under this Act, shall be a member of the concerned State Level Sports Association. Membership of a Sports Association.

25

(2) Every Primary Sports Body shall be a member of the concerned District Level Sports Association.

(3) Subject to the provisions of this Act, any addition, deletion or change in the membership can be made only at a General Body meeting of a Sports Association.

30

(4) A Sports Association may prescribe conditions and procedure of granting membership in its bye-laws.

Minimum requirement for constitution of a Sports Association.

10. (1) A State Level Sports Associations shall be constituted by a minimum of seven District Level Sports Associations.

(2) A District Level Sports Association shall be constituted by a minimum of five Primary Sports Bodies.

(3) A Primary Sports Body shall be constituted by a minimum of seven individuals.

5

Composition of Executive Body.

11. There shall be a minimum of five and a maximum of twenty one members including the office bearers in the Executive Body of a Sports Association.

Himachal Pradesh Olympic Association and District Olympic Association.

12. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Himachal Pradesh Olympic Association shall be given affiliation by the Himachal Pradesh State Sports Council, and shall be considered as the State Level Sports Association and shall give affiliation to the State Level Sports Association registered under this Act for the games or sports recognized for participation in the Olympic Games, Asian Games or Commonwealth Games, and for the purpose of representing the State of Himachal Pradesh in the National Games or any other events conducted by the Indian Olympic Association.

10

(2) The District Olympic Associations shall affiliate the District Level Sports Associations registered under this Act.

15

(3) The Himachal Pradesh Olympic Association or any of its affiliated bodies may perform any other task relating to sports which the Government or the Himachal Pradesh State Sports Council may entrust to it.

20

(4) The Himachal Pradesh Olympic Association and its constituent District Olympic Associations shall issue letters of affiliation to the registered Sports Associations falling under sub-section (1) and sub-section (2) within thirty days from the date of application.

25

**CHAPTER-III
ELECTIONS OF SPORTS ASSOCIATIONS**

Elections.

13. (1) Election of the Executive Body of a State Level Sports Association shall be held in the presence of an observer of the Himachal Pradesh State Sports Council. Election of the Executive Body of a District

30

Level Sports Associations shall be held in the presence of an observer of its State Level Sports Association and observer of the District Sports Council.

5 (2) On conclusion of the election of the Executive Body of a Sports Association, the election officer shall issue a certificate, duly countersigned by the observer(s) giving the names and addresses of the elected members.

(3) On issuance of such certificate under sub-section (2), the elected Executive Body shall take charge of the Sports Association.

10 (4) The election officer shall take charge of the Sports Association and shall send the copies of such certificate to the Registrar and the Himachal Pradesh State Sports Council.

14. (1) Every member of a Primary Sports Body shall have the right to cast one vote in the election of its Executive Body. Voting right.

15 (2) The President and Secretary of the affiliated Primary Sports Body shall have one vote each in the election of the Executive Body of a District Level Sports Association.

(3) The President and Secretary of the District Level Sports Association shall have one vote each in the election of the State Level Sports Association.

20 (4) No outgoing office bearers and Executive Members of any Sports Association shall have a right to cast their vote for the election of the Executive Body of the Sports Association.

(5) No individual member or life member of any Sports Association shall have a right to cast his vote for the election of the Executive Body of the Sports Association.

25 (6) The procedure for determining the authorisation of persons for the purpose of casting a vote on behalf of a Sports Association shall be such as may be prescribed by the bye-laws of a Sports Association.

15. (1) All individual members shall be eligible to contest the elections of a Primary Sports Body. Eligibility for contesting election.

30 (2) Elected office bearers of all the affiliated Primary Sports Bodies shall be eligible to contest the elections of a District level Sports Association.

(3) Elected office bearers of all the affiliated District Level Sports Associations shall be eligible to contest the elections of a State Level Sports Association.

(4) Anyone contesting an election must possess the qualifications prescribed in SCHEDULE 'C' to this Act on the date of notification of the elections.

5

CHAPTER-IV SETTLEMENT OF DISPUTES

Conciliation and arbitration. 16. (1) If any dispute arises touching the constitution, management activity, election or claim to affiliation of any Sports Association, the same shall be resolved through conciliation and arbitration. 10

(2) The Legal Remembrancer-*cum*-Principal Secretary (Law) to the Government shall be the sole Arbitrator for the purpose of arbitration proceedings under sub-section(1).

(3) The Arbitration and Conciliation Act, 1996, shall apply to the conciliation and arbitration proceedings referred under sub-section (1). 15

CHAPTER-V ACCOUNTS, AUDIT AND INSPECTION

Funds of Sports Associations. 17. (1) Every Sports Association shall have its own fund. 20

(2) The Sports Associations may accept grants and donations from the Central or State Governments or a local authority or any individual or body, whether incorporated or not or the donations from sponsors or promoters, for all or any of the purposes of this Act.

(3) The Government may give such grants, as it may consider necessary to the Sports Associations. 25

(4) All money received by or on behalf of the Sports Associations by virtue of this Act shall constitute the fund of the Sports Associations.

(5) All money specified in this section and forming part of the fund of the Sports Associations shall be deposited in any of the Himachal Pradesh State Co-operative Bank or in any Nationalised Bank.

5 (6) Such account shall be operated by such authority or person, in such manner and in such form, as may be prescribed.

18. Every sports Association shall maintain and keep its accounts up to date. Accounts.

10 19. Every State Level Sports Association shall get its accounts audited by a Chartered Accountant and shall make appropriate arrangement for auditing of accounts of its affiliated Districts Level Sports Associations. Audit.

15 20. The Statement of the audited accounts shall be sent within six months of the closing of the financial year by the Primary Sports Body to its District Level Sports Associations, by the District Level Sports Associations to its State Level Sports Associations and by the State Level Sports Association to the Himachal Pradesh State Sports Council. Returns.

21. (1) The Registrar or the Himachal Pradesh State Sports Council may call for any record of a Sports Association required for an enquiry under this Act. Power to call for record and inspection.

20 (2) The State Level Sports Association may call for any record of an affiliated Districts Level Sports Association required for an enquiry under this Act.

CHAPTER-VI DISAFFILIATION, INQUIRY AND DISQUALIFICATION

25 22. (1) A State Level Sports Association may, after giving an opportunity of being heard, disaffiliate any District Level Sports Association which has not fulfilled any of the obligations laid down in the Chapter VIII of this Act for two years in succession and inform the Registrar, who may thereafter take appropriate action under section 25. Disaffiliation.

30 (2) The Himachal Pradesh State Sports Council may, after giving due hearing, disaffiliate any State Level Sports Association which has not fulfilled any of the obligations laid down in the Chapter VIII of this Act for

two years in succession and inform the Registrar, who may, thereafter take appropriate action under section 25.

Grounds for
disqualifica-
tion.

- 23.** (1) A Sports Association shall be liable to action if—
- (a) fails to maintain accounts and submit the same under section 19 or fails to produce the same when called for inspection, or 5
 - (b) if the Sports Association fails to hold elections inaccordance with its bye-laws, or, as the case may be, when enjoined by the provisions of Chapter-VII, or
 - (c) if the Sports Association fails to carry out its obligations under Chapter-VIII, or 10
 - (d) if the Sports Association or any of its office bearer or any other member of the Executive Body misappropriates the funds for his personal gains or mismanages the affairs of the Sports Association to give undue benefit to any other person, or 15
 - (e) if the Sports Association is disaffiliated under section 22.
- (2) A State Level Sports Association may, after giving opportunity of being heard, recommend to the Registrar that a District Level Sports Association affiliated to it may be disqualified if it— 20
- (a) does not follow the directions of the State Level Sports Association in the matter of conducting tournaments and contravenes its regulations, or
 - (b) does not pay the affiliation fee, or
 - (c) otherwise contravenes the provisions of its own registered bye-laws. 25

Inquiry.

- 24.** (1) The Registrar may,—
- (a) on the request of Himachal Pradesh State Sports Council, or
 - (b) on the request of a State Level Sports Association, or 30

(c) on the request of not less than one tenth of the total members of a Sports Association, or

(d) on his own motion, hold an inquiry, either himself or by a person duly authorized by him.

5 (2) The Registrar or the person authorized by him shall, for the purpose of any inquiry, have all the powers to inspect records, direct production and take copy of any document of the concerned Sports Association, for the purpose of inquiry.

10 25. (1) After holding an inquiry, the Registrar, after giving an opportunity of being heard to the affected Sports Association may, — Disqualification.

(a) appoint an Adhoc Executive Committee and cause to hold fresh elections of the Executive Body within three months; and

(b) in the case of misappropriation of funds, take action in accordance with law.

15 (2) No existing office bearer of a Sports Association who is disqualified under sub-section (1) shall be eligible to contest elections of any Sports Association for a period of six years from the date of such disqualification.

20 26. (1) No person or group of persons, either individually or collectively shall represent or be allowed to represent the State of Himachal Pradesh in any games or sports without being authorized by a State Level Sports Association. Prohibition to represent or to use the name of the State or the District.

25 (2) No Sports Association shall be entitled to use the description 'Himachal' or 'Himachal Pradesh' or use the name of a District as part of its name or undertake any sports activity which results in representing the State of Himachal Pradesh or a District, as an affiliated unit of any National Federation, Board, or Association purporting to represent India, or in any other manner whatsoever, unless such Sports Association is registered as a State Level Sports Association or a District Level Sports Association under this Act. 30

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term not exceeding six months or with fine or with both.

(4) No court shall take cognizance of any offence under this section, except upon a complaint made in writing by the Registrar or any officer authorized by him.

**CHAPTER-VII
TRANSITION**

Recognition.

27. (1) An Association undertaking games or sports activities at the State or the District level and is already registered under the Societies Registration Act, 1860 or the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 shall be required to bring its bye-laws in conformity with the provisions of this Act to the satisfaction of the Registrar.

(2) If bye-laws are not amended as required under sub-section (1), the Executive Body of the Sports Association shall be superseded by the Registrar and an Adhoc Executive Committee shall be appointed to manage the affairs of the Sports Association.

(3) The Adhoc Executive Committee shall call an Extraordinary General Meeting and get amended bye-laws approved within thirty days of taking charge.

(4) After the amendment of bye-laws, fresh elections shall be held within thirty days from the date of such amendment in the cases, where—

(a) such amendment has been made after superseding the earlier elected Executive Body, or

(b) earlier elected Executive Body has been elected by a voting collegium which comprised members other than those provided under this Act.

Provided that the voting collegium and eligibility of elected persons for contesting elections of their affiliating Associations shall be determined on the basis of sub-section (5).

5

10

15

20

25

30

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, at the commencement of this Act, the elected office bearers of the Executive Bodies of various State Level Sports Associations and District Level Sports Associations shall be determined in the following manner for the purpose of conducting any fresh elections under sub-section (4):—

(a) for the State Level Sports Associations specified in SCHEDULE 'B' on the basis of the returns filed by the affiliated State Level Sports Associations with the Himachal Pradesh State Sports Council and the record available with the Himachal Pradesh State Sports Council either based on such returns or on the basis of records of the Relevant District Sports Council on the date of commencement of this Act; and

(b) for the District Level Sports Associations, primarily on the basis of returns filed by the affiliated State Level Sports Associations with the Himachal Pradesh State Sports Council and, if such returns are not available, on the basis of record of affiliation available with the District Sports Council on the date of commencement of this Act.

28. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the registration of all the Sports Associations which are registered under the Societies Registration Act, 1860 or the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006, and have applied for registration and recognition under section 27 shall cease to exist from the date of such application.

Cessation
of
registration.

(2) Notwithstanding the cessation of registration of an association under sub-section (1), all the claims accrued or liabilities incurred or proceedings initiated prior to the date of commencement of this Act shall be claimed, suffered or, as the case may be, continued as if the registration has not ceased to exist.

(3) On cessation of registration of an association under sub-section (1), the property of the association shall, subject to the bye-laws of the association, continue to vest in such persons or body of persons in whom the property vested immediately before the date of commencement of this Act.

CHAPTER-VIII

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SPORTS ASSOCIATIONS

Right to participate.	<p>29. Every Sports Association shall have the right to participate in the sports activities conducted by the Sports Association to which it is affiliated, subject to the provisions of the bye-laws and regulations of the affiliating Sports Association.</p>	5
Obligations of the State Level Sports Associations.	<p>30. Every State Level Sports Association other than Himachal Pradesh Olympic Association shall—</p> <p>(a) conduct at least one inter-district State Championship, for the seniors and juniors every year;</p> <p>(b) send its players and teams to participate at the National Level;</p> <p>(c) arrange to provide round the year training and coaching facilities for the players either by itself or in association with Himachal Pradesh State Sports Council;</p>	10
	<p>(d) arrange to give such prizes, scholarships, medals and other such facilities as would encourage the sports persons;</p>	15
	<p>(e) ensure that there is no sexual harassment of the players or any other person engaged in sports activities; and</p>	
	<p>(f) ensure prevention of wrong disclosure of age by any player.</p>	
Obligations of the District Level Sports Associations.	<p>31. Every District Level Sports Association other than a District Level Olympic Association shall—</p>	20
	<p>(a) conduct at least one District Level Championship each for the seniors and the juniors every year;</p>	
	<p>(b) send its players and teams to participate at the State Level;</p>	
	<p>(c) arrange to provide training and coaching facilities for the players either by itself or in association with Himachal Pradesh State Sports Council;</p>	25

(d) arrange to give such prizes, scholarships, medals and other such facilities as would encourage the sportspersons;

(e) ensure that there is no sexual harassment of the players or any other person engaged in sports activities; and

52 (f) ensure prevention of wrong disclosure of age by any player.

**CHAPTER-IX
MISCELLANEOUS**

01 **32.** (1) The Government may, by notification in the Officials Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act;

Power to make rules.

10 (2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolve that any such rule should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder.

20 **33.** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by general or special order, published in the Official Gazette, give such directions as are not inconsistent with the provisions of this Act and may appear to be necessary or expedient for the purpose of removing such difficulty:

Power to remove difficulties.

25 Provided that the powers conferred under this section shall not be exercised after the lapse of two years from the date of commencement of this Act.

30 **34.** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any authority or officer or servant of the Government for any thing which is in good faith done or intended to be done, or for any action taken in carrying out the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

Power to amend SCHEDULE.	35. The following procedure shall govern any addition or alteration to and deletion from the SCHEDULES 'A', 'B', 'C' and 'D':—	
	(a) The Himachal Pradesh State Sports Council may send a written advice to the Registrar after passing a Special Resolution;	
	(b) Upon receiving the written advice, the Registrar shall publish a notice of the proposed addition, alteration or deletion;	5?
	(c) Upon expiry of thirty days from the publication of such notice, the proposed amendment shall be considered by the Government, and if, the Government thinks it fit, it may, by notification in the Official Gazette, amend the concerned SCHEDULE:	10
	Provided that all notifications issued under this section shall be laid, as soon as may be, after they are so issued, before the House of the State Legislature.	10
Appeal and revision.	36. Any Sports Association or person aggrieved by an order made by the Registrar under the provisions of this Act, may appeal against such order to the Secretary (Youth Services & Sports) Government of Himachal Pradesh, within thirty days from the date of order, whose decision shall be final.	15
Savings.	37. All lawful actions taken or purported to have been taken by a Sports Association under the Societies Registration Act, 1860 or the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 prior to the commencement of this Act, shall be deemed to have been taken by virtue of its being registered as a Sports Association under this Act.	20
	Provided that the powers conferred under this section shall be exercised after the lapse of two years from the date of commencement of this Act.	22
Protection of action taken in good faith.	38. No suit, prosecution or other legal proceedings shall be against the Government or any authority or officer or servant of the Government for any thing which is in good faith done or intended to be done, or for any action taken in carrying out the provisions of this Act or the rules made thereunder.	30

SCHEDULE-'A'

(See sections 5 and 35)

List of documents necessary for registration:—

1. List of members attested by a Magistrate or a Notary Public;
2. List of elected members of the Executive Body;
3. Certificate of affiliation with the National Federation/State Sports Association;
4. Memorandum and bye-laws made in accordance with the provisions of this Act (in two sets);
5. List of members of the last general meeting;
6. In the case of an existing association, an undertaking to bring the bye-laws in conformity with the provisions of this Act;
7. List of atleast seven District level units duly approved and affiliated with the State unit (not required for registration of Winter Sports Association); and
8. Up to date audited accounts for the immediately preceding financial year.

SCHEDULE-'B'

(See section 5, 27 and 35)

State Level Sports Associations eligible for registration :—

1. Himachal Pradesh Archery Association.
2. Himachal Pradesh Athletics Association.
3. Himachal Pradesh Badminton Association.
4. Himachal Pradesh Basketball Association.
5. Himachal Pradesh Billiards Association.
6. Himachal Pradesh Body Building Association.
7. Himachal Pradesh Boxing Association.
8. Himachal Pradesh Bridge Association.
9. Himachal Pradesh Carrom Association.
10. Himachal Pradesh Chess Association.
11. Himachal Pradesh Cricket Association.
12. Himachal Pradesh Cycling Association.
13. Himachal Pradesh Football Association.
14. Himachal Pradesh Golf Association.
15. Himachal Pradesh Gymnastic Association.
16. Himachal Pradesh Handball Association.
17. Himachal Pradesh Hockey Association.
18. Himachal Pradesh Judo Association.

19. Himachal Pradesh Kabaddi Association.
20. Himachal Pradesh Karate-do Association.
21. Himachal Pradesh Kho-Kho Association.
22. Himachal Pradesh Power Lifting Association.
23. Himachal Pradesh Rifle Shooting Association.
24. Himachal Pradesh Skiing Association.
25. Himachal Pradesh Squash Association.
26. Himachal Pradesh Softball Association.
27. Himachal Pradesh Swimming Association.
28. Himachal Pradesh Table Tennis Association.
29. Himachal Pradesh Taekwondo Association.
30. Himachal Pradesh Tennis Association.
31. Himachal Pradesh Volleyball Association.
32. Himachal Pradesh Weight Lifting Association.
33. Himachal Pradesh Wrestling (Indian Style) Association.
34. Himachal Pradesh Indoor Cricket Association.
35. Himachal Pradesh Ice Skating Association.
36. Himachal Pradesh Korfball Association.
37. Himachal Pradesh Net Ball Association.
38. Himachal Pradesh Olympic Association.
39. Himachal Pradesh Throw Ball Association.
40. Himachal Pradesh Winter Sports Association.
41. Himachal Pradesh Wushu Association.
42. Himachal Pradesh Yoga Association.

SCHEDULE-C

[See section 15(4)]

Qualifications for contesting elections and holding the post of an office bearer:—

1. Should be a bonafide resident of Himachal Pradesh;
2. Should have knowledge/experience of the concerned games;
3. For the purpose of this Act, the bonafide Himachali shall mean,—
 - (a) permanent resident of Himachal Pradesh;
 - (b) working in Himachal Pradesh for the last 15 years; or
 - (c) possesses immovable property in Himachal Pradesh;
4. Has not been convicted in any criminal case;
5. Has not been declared insolvent; and
6. Has not been disqualified from participating in any game or event.

21
SCHEDULE-'D'
(See section 35)

Record to be maintained by a Sport Association:—

1. Register of Members;
2. Minutes Book of the meetings of the Executive Body;
3. Minutes Book of the meetings of the General Body;
4. Register of accounts;
5. Record of activities, events and achievements; and
6. Record of certificates/award (event-wise).

Authentic

Vishy

**Chief Minister
Himachal Pradesh**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present there is no regulation for the Sports Associations with regard to their registration, constitution, provisions pertaining to elections and their proper functioning for promotion of sports and financial accountability. In order to bring all the Associations under uniform regulations, it has been decided to bring a legislation. This legislation seeks to achieve the overall purpose of promoting sports and games in the State of Himachal Pradesh right from the village level upto State Level and thereby inculcate the love for sports and games. It is also aimed at to provide provisions for the registration, recognition and regulation of the sports Associations and to facilitate and regulate the activities and affairs of the Sports Association in the State of Himachal Pradesh. Under this legislation provisions are being made for the recognition and regulation of the activities, election, functions of the Sports Associations and their various Revenue District-units in the State. At the same time the overall object of this law is also to democratize the Sports Associations and thereby enable them to manage their activities relating to the sports affairs in the best interest of the sports at the State, National and International level.

(VIRBHADRA SINGH)

Authentic Chief Minister.

SHIMLA:

THE....., 2015.

Virbhadr
Chief Minister
Himachal Pradesh

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of this Bill, if enacted, shall be implemented through the existing Government machinery. As such, there shall be no additional expenditure out of the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 32 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

